न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : अरूण पुरोहित आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 158/2019

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1–भोमसिह पुत्र स्व0 हेमसिह 2–प्रेमसिह पुत्र स्व0 हेमसिह 3–हुकमसिह पुत्र स्वा0 हेमसिह 4–मोहनसिह पुत्र स्व0 हेमसिह के कायम मुकाम– 4.1–ईश्वरसिह पुत्र स्व0 मोहनसिह 4.2– किरणकंवर पुत्री स्व0 मोहनसिह 4.3– हिम्मतकंवर पुत्री स्व0 मोहनसिंह सभी जाति राजपूत निवासीगण ग्राम मालुंगा तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर 5– शम्भुसिह पुत्र जब्बरसिह 6– नटवरसिह पुत्र जब्बरसिह 7– श्रीमती बीरजकंवर बेवा जब्बरसिह 8– सुगनकंवर बेवा रतनसिह 9– महेन्द्रसिह पुत्र रतनसिह सभी जातियान राजपूत निवासीगण ग्राम मालुंगा तहसील तिवरी, जिला जोधपुर		श्रीमती सुगनकंवर पुत्री स्व0 विजयसिह धर्मपत्नी मानसिह जाति राजपूत निवासी ग्राम संभाडिया तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश अतिरिक्त जिला कलेक्टर (द्वितीय) जोधपुर जो राजस्व अपील संख्या 52/2016 अनवान श्रीमती सुगनकंवर बनाम भोमसिह वगैरा मे दिनांक 27–6–2019 को पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1–श्री गुलाब सिह चंपावत अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2–श्री सत्यनारायण राजपुरोहित अधिवक्ता रेस्पो0 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 25–01–2021

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान अपील की रेस्पो0 श्रीमती सुगनकंवर ने ग्राम डिगाडी पटवार मण्डल मालुंगा के नामांतरकरण संख्या 4 स्वीकृति दिनांक 6–1–89 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (द्वितीय) जोधपुर के समक्ष इस आशय की प्रथम अपील पेश की कि वह उक्त नामांतरकरण मे वर्णित भूमि के सहखातेदार विजयसिह की एक मात्र विधिक वारिस तथा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रथम श्रेणी की वारिस है परंतु उसके पिता के फोत होने पर विजयसिह एवं भीमसिह के ला–औलाद फोत होना बताते हुए उनके हिस्से की खातेदारी की भूमि का म्युटेशन हेमसिह पुत्र रामसिह के नाम स्वीकृत कर दिया, जो विधिविरूद्ध होने से उसे निरस्त करने का निवेदन किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने उनके समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील को अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27–6–2019 के द्वारा स्वीकार करते हुए तहसीलदार ओसियां द्वारा स्वीकृत नामांतरकरण संख्या 4 ग्राम डिगाडी

अति० सम्भागीय आयुक्त 25.1.21 जोधपुर

को निरस्त कर प्रकरण हाल तहसीलदार तिवरी को स्व0 विजयसिह एवं स्व0 भोमसिह के हिस्से की भूमि स्व0 विजयसिह की पुत्री अथार्त अपीलांट के नाम नामांतरकरण दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये उक्त निर्णय के विरूद्ध वर्तमान द्वितीय अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

पक्षकारो के अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 4 जो कि दिनांक 6–1–89 को स्वीकृत किया गया था उसके लगभग 27 वर्ष के विलंब से अधीनस्थ न्यायालय मे प्रथम अपील पेश की जो पूर्णतया मयाद बाहर होने से खारीज योग्य थी, वकील अपीलांट ने कथन किया रेस्पो0 को अपीलाधीन म्युटेशन की जानकारी प्रारंभ से ही थी परंतु वह 27 वर्ष तक चुप बेठी रही और किसी सक्षम न्यायालय मे कोई कार्यवाही नही की गई जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलाधीन म्युटेशन स्वीकृति मे रेस्पो0 की मौन स्वीकृति थी तथा यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे विलंब को क्षमा करने बाबत धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे जो कारण दर्शाये गये है वह संतोषजनक नही होने से अधीनस्थ न्यायालय को उनके समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील को मयाद के बिन्दु पर ही खारीज कर देनी चाहिये थी परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने मयाद के बिन्दु को तय किये बिना ही अपील को मेरिट पर निर्णित कर दिया इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय मे दिये गये विवेचन को पढकर सुनाया तथा कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय के द्वारा ग्राम डिगाडी के नामांतरकरण संख्या 4 को निरस्त किया जाकर स्व0 विजयसिह एवं स्व0 भोमसिह की पुत्री अथार्त वर्तमान रेस्पो0 के नाम उक्त नामांतरकरण दर्ज करने का आदेश पारित करते हुए रेस्पो0 को खातेदार घोषित कर दिया जबकि म्युटेशन की सरकारी कार्यवाही के जरिये खातेदारी अधिकार प्रदत्त नही किये जा सकते है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस मे यह भी कथन किया कि म्युटेशन की समरी कार्यवाही मे किसी व्यक्ति के हक व अधिकार तथा उतराधिकार एवं गोद जैसे विवादित बिन्दु तय नही होते, यदि रेस्पो0 अपीलाधीन भूमि मे अपना हक अधिकार मानती है तो उसे सक्षम न्यायालय मे दावा पेश करके ही कानूनन अपने अधिकारो का निर्धारण करवा सकती थी परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी प्रावधान पर ध्यान दिये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस के दौरान यह भी कथन किया कि रेस्पो0 म्युटेशन कार्यवाही मे पक्षकार नही थी तथा रेस्पो0 ने उक्त म्युटेशन संख्या 4 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील के साथ अपील पेश करने की अनुमति प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी का पेश नही किया गया था परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी

प्रावधान को नजरअंदाज करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय को उक्त प्रकरण तहसीलदार को रिमाण्ड करना चाहिये था तथा रिमाण्ड आदेश मे यह निर्देश देना चाहिये था कि रेस्पो0 सुगनकंवर विजयसिह के वारिसान है या अन्य और वारिसान है, इसकी जांच कर उन्हे सुनवाई का अवसर दिये जाने के बाद पुनः नये सिरे से म्युटेशन स्वीकृत करें परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय के द्वारा सीधे ही उनके हक हिस्से निर्धारित किये बिना रेस्पो0 सुगनकंवर का नाम सहखातेदारी मे दर्ज करने का आदेश पारित कर दिये इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27–6–19 को निरस्त कर रेस्पो0 सुगनकंवर को अपने खातेदारी अधिकार निर्धारित करने के लिए सक्षम न्यायालय मे खातेदारी घोषणा का दावा पेश करने के निर्देश पारित करने का निवेदन किया । वकील अपीलांट ने अपनी उक्त बहस के समर्थन मे 2010 आर.आर.टी.(2) पेज 1222, आर.आर.डी. 20[illegible] पेज 300, आर.आर.डी. 2010 पेज 281, आर.आर.डी. 2003 पेज 415, आर.आर.डी. 201[illegible] पेज 300, आर.आर.टी. 2011(1) पेज 421, आर.आर.टी. 2012(1) पेज 101, आर.आर.डी. 1993 पेज 44, आर.आर.डी. 2006 पेज 569, आर.आर.डी. 1984 पेज 261 की निर्णय नजीरें पेश की ।

वकील रेस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए तथा अपीलांट अधिवक्ता की बहस के प्रत्युत्तर मे कथन किया कि रेस्पो0 श्रीमती सुगनकंवर जो कि मृतक खातेदार विजयसिह की जायंदा पुत्री है तथा हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 8 अनुसार प्रथम श्रेणी की विधिक वारिस जीवित होते हुए उसे उसके पिता एवं उसके काका भीमसिह के खातेदारी की भूमि से वंचित रखते हुए उक्त म्युटेशन संख्या 4 हेमसिह पुत्र रामसिह जो दूर के रिश्तेदार थे, उनके नाम स्वीकृत कर दिया था जो प्रारंभ से ही त्रुटिपूर्ण एवं शून्य एवं वॉईड एब इनिश्यो था इसलिए ऐसे त्रुटिपूर्ण एवं वॉईड एब इनिश्यो आदेशो के विरूद्ध अपील पेश करने मे मयाद का बिन्दु गौण हो जाता है । वकील अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत अपील के साथ मेने धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया था ऐसे मे अधीनस्थ न्यायालय ने अपील के गुणावगुण पर विचार करते हुए अपीलाधीन निर्णय मे यदि मयाद सुमार करने का उल्लेख नही भी किया है तो वह आदेश नेचुरल जस्टिस के सिद्धान्त के मध्यनजर अन्दर मयाद सुमार करते हुए पारित किया हुआ ही माना जायेगा ।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस मे दौरान कथन किया कि माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पारित विभिन्न न्यायिक निर्णयो मे यह अभिनिर्धारित किया है कि जहां प्रकरण गुणावगुण पर प्रबल हो तो पक्षकार को मयाद जैसे तकनिकी बिन्दु के आधार पर न्याय से वंचित नही रखना चाहिये इसलिए

अधीनस्थ न्यायालय ने जो अपीलाधीन निर्णय गुणावगुण पर पारित किया है, वह विधिसम्मत होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया।

वकील रेस्पो० ने कथन किया कि रेस्पो० सुगनकंवर तो मृतक खातेदार विजयसिह की प्रथम श्रेणी की विधिक वारिस तथा नेचुरल सक्सेसर होने से उसे अपने पिता के हिस्से की खातेदारी की भूमि के संबंध मे त्रुटिपूर्ण स्वीकृत किये गये नामांतरकरण के विरूद्ध अपील पेश करने के लिए न्यायालय से अनुमति की आवश्यकता ही नही थी तथा यह भी कथन किया कि रेस्पो० का अपीलाधीन भूमि मे उसके जन्म से ही अधिकार सृजित हो चुके थे इसलिए उसे अपीलाधीन भूमि के संबंध मे खातेदारी अधिकारो के घोषणा करवाने की आवश्यकता नही है। उक्त तमाम बिन्दुओ के मध्यनजर अधीनस्थ न्यायालय ने जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, उसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया।

वकील रेस्पो० ने अपनी बहस के दौरान यह भी प्रकट किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना मे रेस्पो० के पक्ष मे अपीलाधीन भूमि के संबंध मे नामांतरकरण भी स्वीकृत हो चुका है तथा रेस्पो० का नाम राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज हो चुका है इसलिए भी अपीलांट की उक्त अपील निष्प्रभावी हो चुकी है।

वकील रेस्पो० ने अपनी बहस के समर्थन मे आर.आर.डी.2009 पेज 195, आर.आर.डी 1998 पेज 465, आर.आर.डी. 1989 पेज 45, आर.आर.डी. 2009 (2) पेज 1102, आर.आर. डी. 1998 पेज 319, ए.आई.आर.1999 सु.को. पेज 2583, ए.आई.आर. सु.को. पेज 2089 तथा जमाबंदी संवत 2072–275 ग्राम निम्बाराम नगर की सत्य प्रतिलिपी पेश की जिसमे रेस्पो० के पक्ष मे दर्ज भूमि बैक आफ बडोदा के पक्ष मे रहन रखी हुई होना बताया। अंत मे वकील रेस्पो० ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष के अभिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27–6–2019 का अवलोकन एवं अध्ययन किया तथा पक्षकारान के अधिवक्ताओं द्वारा उनकी बहस के समर्थन मे प्रस्तुत निर्णय नजीरो का भी ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

ग्राम डिगाडी पटवार मण्डल मालुंगा के नामांतरकरण संख्या 4 मे वर्णित भूमि के सहखातेदार विजयसिह को ला–औलाद फोत होना बताते हुए उनके हिस्से की खातेदारी की भूमि का म्युटेशन हेमसिह पुत्र रामसिह के नाम स्वीकृत कर दिया, जबकि रेस्पो० सुगनकंवर मृत खातेदार विजयसिह की जायदा पुत्री है इस तथ्य को अपीलांट भी स्वीकार करते है। उक्त म्युटेशन संख्या 4 के विरूद्ध वर्तमान रेस्पो० सुगनकंवर पुत्री विजयसिह की ओर से अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम को अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 27–6–2019 के द्वारा स्वीकार करते हुए तहसीलदार ओसियां द्वारा स्वीकृत नामांतरकरण संख्या 4 को निरस्त कर तहसीलदार को स्व० विजयसिह व स्व० भोमसिह के हिस्से की भूमि स्व० विजयसिह की विधिक वारिस पुत्री के नाम नामांतरकरण दर्ज करने का आदेश

पारित कर दिया, जिससे व्यथित होकर हेमसिह के विधिक वारिसान की ओर से वर्तमान द्वितीय अपील मे मुख्य कथन यह है कि वर्ष 1989 मे स्वीकृत हुए नामांतरकरण संख्या 4 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय मे लगभग 27 वर्ष विलंब से अपील पेश की थी परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने मयाद के बिन्दु पर निर्णय किये बिना ही अपील को स्वीकार कर अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 4 को निरस्त करने मे विधिक भूल की है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त योग्य है ।

इस संबंध मे यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि रेस्पो० सुगनकंवर मृतक खातेदार विजयसिह की जांयदा पुत्री है तथा मृत खातेदार भोमसिह जो लाऔलाद फोत हुआ उसकी भी सगी भतीजी है, इस तथ्य का अपीलांट ने कोई खण्डन नही किया है । हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 8 के प्रावधान अनुसार रेस्पो० सुगनकंवर मृतक खातेदार विजयसिह की प्रथम श्रेणी की विधिक वारिस होते हुए अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 4 की पुष्ठ पर विजयसिह को भी लाऔलाद बताते हुए उक्त म्युटेशन वर्तमान अपीलांटगण के पिता हेमसिह पुत्र रामसिह के पक्ष मे स्वीकृत कर दिया जबकि मृतक विजयसिह के एकमात्र जायंदा पुत्री जीवित है इसलिए अपीलाधीन म्युटेशन प्रारंभ से ही शून्य होने से अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त म्युटेशन संख्या 4 को निरस्त करने एवं रेस्पो० सुगनकंवर जो कि मृतक खातेदार विजयसिह एवं भोमसिह की विधिक वारिस होने से उसके नाम उक्त नामांतरकरण दर्ज करने का जो आदेश पारित किया है, वह विधिसम्मत होने से उसमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना न्यायोचित प्रतीत नही होता है ।

इसके अलावा यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 4 जो प्रांरभ से ही विधिविरूद्ध, त्रुटिपूर्ण एवं एब इनिश्यो वॉइड था तो ऐसे आदेशो के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने मे मयाद का बिन्दु गौण हो जाता है तथा ऐसे आदेशो को कभी भी चुनौती दी जा सकती है जैसाकि वकील रेस्पो० द्वारा प्रस्तुत न्यायिक निर्णय नजीरो मे भी यह अभिनिर्धारित किया गया है ।

वर्तमान मामले मे अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील के गुणावगुण पर विवेचन करते हुए अपील को स्वीकार करते हुए वर्ष 1989 मे स्वीकृत हुए अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 4 को त्रुटिपूर्ण मानते हुए उसे निरस्त करने का आदेश पारित किया है तो उक्त आदेश अपील को अंदर मयाद सुमार करते हुए पारित किया हुआ माना जायेगा ।

अपीलांट अधिवक्ता का यह कथन कि रेस्पो० अपीलाधीन म्युटेशन मे पक्षकार नही थी इसलिए अधीनस्थ न्यायालय मे अपील पेश करने की अनुमति का प्रार्थना पत्र पेश किये बिना प्रस्तुत अपील खारीज योग्य थी । अपीलांट के इस कथन के संबंध मे यह उल्लेख करना उचित होगा कि अपीलार्थियां जो कि मृतक खातेदार विजयसिह की जायंदा पुत्री है तथा हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के प्रावधान अनुसार प्रथम श्रेणी की विधिक वारिस होने से जैसे ही उसके पिता का देहांत हुआ तो उसके पिता के हिस्से की खातेदारी भूमि मे उसके अधिकार स्वतः ही सृजित हो चुके थे इसलिए अपीलाधीन म्युटेशन के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय मे अपील प्रस्तुत करने की अनुमति बाबत कोई प्रार्थना पत्र पेश करने की आवश्यकता नही थी ।

इन तमाम तथ्यो पर एवं अपील के गुणावगुण पर विवेचन करते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, उसमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नही समझते है ।

इसके अलावा वर्तमान अपील मे रेस्पो0 अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत राजस्व रेकर्ड अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27–6–2019 की पालना मे रेस्पो0 सुगनकंवर के पक्ष मे नामांतरकरण भी स्वीकृत होकर राजस्व रेकर्ड जमाबंदी मे उसके नाम का इन्द्राज हो चुका है तथा रेस्पो0 ने अपने हिस्से की खातेदारी भूमि बैंक मे रहन भी रख दी है ।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील सारहीन होने से खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलेक्टर (द्वितीय) जोधपुर द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27–6–2019 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 25–01–2021 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

25.1.21

(अरूण पुरोहित)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर